न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 191 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–06.09.2022

GCMS ID-2022 / 162

बउनवान

1. नीमराज गुर्जर आयु 39 वर्ष आ. श्री चतरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो का बरडा, चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर।

वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 20 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 126 ख.सं. 506 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, व.सं. 508 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, ख.सं. 509 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, ख.सं. 510 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7042 हैक्टेयर वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जिसमे प्रार्थी का 1/20 हिस्सा निहित है, उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र चतरा दर्ज हो रहा है। भूमि खाता संख्या 204 ख.सं. 1124 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, ख.सं. 1127 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, ख.सं. 1128 रकबा 0.5261 हैक्टेयर, ख.सं. 1129 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, ख.सं. 1130 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 1131 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, ख.सं. 1132 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, ख.सं. 1133 रकबा 0. 0243 हैक्टेयर, ख.सं. 507 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, ख.सं. 555 रकबा 0.2590 हैक्टेयर ख.सं. 556 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, ख.सं. 557 रकबा 0.2185 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.0997 हैक्टेयर वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज मे विरिथत है, जिसमे प्रार्थी का 1/100

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हिस्सा निहित है. उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम कालू पुत्र चतरा दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का नाम नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में अंकित है, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे कालू आ. चतरा के नाम से इन्तकाल खोल दिया गया है, जिस कारण प्रार्थी को विभिन्न समस्या आ रही है, तथा उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात बैंक डायरी, टी.सी. प्रमाण पंत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर अंकित है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में प्रार्थी का नाम कालू आ चतरा के नाम से इन्तकाल खोल दिया गया है जो अवैध व निरस्तीय योग्य है, इसलिये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर कालु आ. चतरा के स्थान पर नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब व तहसीलदार साहब के सम्पर्क किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.08.2022 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 से वर्णित भूमि में दर्ज प्रार्थी का कालु आ. चतरा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर नीमराज गुर्जर चतरा गुर्जर दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर दर्ज करवावे। भूमिया वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है।प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 126 ख.सं. 506 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, ख.सं. 508 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, ख.सं. 509 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, ख.सं. 510 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7042 हैक्टेयर वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेता व भूमि खाता संख्या 204 ख.सं. 1124 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, ख.सं. 1127 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, ख.सं. 1128 रकबा 0.5261 हैक्टेयर, ख.सं. 1129 रकबा 0. 1538 हैक्टेयर, ख.सं. 1130 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 1131 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, ख.सं. 1132 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, ख.सं. 1133 रकबा 0.0243 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ख.सं. 507 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, ख.सं. 555 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, ख.सं. 556 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, ख.सं. 557 रकबा 0.2185 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.0997 हैक्टेयर वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम कालू आ. चतरा के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदीयो मे प्रार्थी का नाम सही नाम नीमराज गुर्जर आ. चतरा गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/2026 दिनांक :–19.12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुर्जरों का बरडा पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या 8, 5 व ग्राम चेता पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या 48 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें प्रार्थी का नाम कालू पुत्र चतरा दर्ज हो रहा है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारों अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज कालू पुत्र चतरा व नीमराज पुत्र चतरा एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज कालू पुत्र चतरा के स्थान पर पर प्रार्थी का शुद्ध नाम नीमराज पुत्र चतरा शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम नीमराज पुत्र चतरा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, जनआधार

Email/sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कार्ड, ई–श्रम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम नीमराज पुत्र चतरा है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम गुर्जरों का बरडा पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या 8, 5 व ग्राम चेता पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या 48 में दर्ज प्रार्थी के नाम कालू पुत्र चतरा के स्थान पर नीमराज पुत्र चतरा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–20.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

20/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)